Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.
Miscellaneous Appeal Anganbari No.- 33 /2019
Smt. Sudha Devi ....Appellant
Versus
The State of Bihar & Ors... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.04.2023	**आदेश** प्रस्तुत विविध अपील (आंगनबाड़ी) वाद, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया के ज्ञापांक–1842, दिनांक–31.11.2019 द्वारा संसूचित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि बाल विकास परियोजना, नरपतगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत रेवाही, वार्ड सं0–04 में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदिका के साथ–साथ अन्य अभ्यर्थियों ने भी आवेदन समर्पित किया। आवेदन के जाँचोपरांत आवेदिका सुधा देवी 68.05 प्रतिशत अंक के साथ प्रथम स्थान पर तथा उत्तरवादी आशिया प्रवीण कुल 58.45 प्रतिशत अंक के साथ द्वितीय स्थान पर थी। दिनांक–05.12.2018 को आयोजित आम सभा में आवेदिका सुधा देवी का सर्वसम्मति से चयन कर लिया गया। उत्तरवादी सं0–04 आशिया प्रवीण द्वारा आवेदिका के चयन पर किये गये आपत्ति के अनुसार आवेदिका के पति जन वितरण प्रणाली के नियंत्रण आदेश 2016 के अधीन अनुज्ञप्ति सं0–69/2018 के धारक है। जिन्हें अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा दिनांक–10.12.2018 को प्रदान किया गया तथा दूसरी आपत्ति के अनुसार सुधा देवी का शैक्षणिक योग्यता झारखंड ओपेन स्कूल से प्राप्त है, जो वैध नहीं है। इस संबंध में उन्होने स्पष्ट किया है कि जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–947, दिनांक–23.09.	

Web Copy. Not Official.

		2019 के माध्यम से मार्गदर्शन की मांग की गई। इसके आलोक क्रमशः	
	लगातार 18.04.2023	में स्पष्ट किया गया है कि कंट्रोल आदेश 2016 के प्रावधान के अनुसार अनुज्ञप्ति के निर्गत की तिथि से ही वैधानिक रूप से जन वितरण प्रणाली विक्रेता माना जायेगा, साथ इनके शैक्षणिक योग्यता झारखंड ओपेन स्कूल से प्राप्त है, के संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–595 दिनांक–31.08. 2019 के माध्यम से अंक प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची से पत्राचार किया गया जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची के पत्रांक–3181, दिनांक–03.10.2019 में झारखंड ओपेन स्कूल राँची का मान्यता प्राप्त संस्थान बताया गया है परन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा सभी तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलार्थी को चयन मुक्त कर दिया गया, जो अवैध है। इनका आगे कथन है कि झारखंड ओपेन स्कूल की पंजीकरण सं0–OTH/JSOS/2016–025 दिनांक–02.02.2016 द्वारा मान्यता मिल चुकी है। इस प्रकार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया के आदेश ज्ञापांक– 1842, दिनांक–30.11.2019 को विधि विरूद्ध बताते हुए पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विपक्षी सं0–04 आशिया प्रवीण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद विधि एवं तथ्यों की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। संबंधित वाद विद्वान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा पारित आदेश सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2016 के विधि अनुकूल है। दिनांक–05.12.2018 को आयोजित आम सभा में आवेदिका सुधा देवी के प्रथम मेधा क्रम में रहने के कारण सेविका पद पर चयन तो किया गया, परन्तु चयन प्रक्रिया में काफी अनियमितता बरती गई। उक्त चयन से दुखी होकर उत्तरवादी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया के समक्ष अपील सं0–26/2018–19 दायर किया गया। जिसमें उनके द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक–22.11.2019 को आदेश पारित कर आवेदिका के चयन को रद्द कर दिया गया। इनका कहना है कि	

Web Copy Not Official.

	लगातार 18.04.2023	आवेदिका सुधा देवी के पति संतोष कुमार मंडल एक जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी थे, जिस कारण सेविका/सहायिका क्रमशः मार्गदर्शिका के अनुसार इनका चयन किया जाना विधि अनुकूल नहीं था। दूसरी तरफ आवेदिका का शैक्षणिक योग्यता झारखंड ओपेन स्कूल से प्राप्त है, जो सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार वैध नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा इन सभी दिशा निर्देश के आलोक में सेविका का चयन को रद्द किया गया है, जो पूर्णतः वैध है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में आवेदिका के अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा पत्रांक 291, दिनांक–25.03.2022 के माध्यम से मंतव्य द्वारा स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि झारखंड स्टेट ओपेन स्कूल को मान्यता शिक्षक नियोजन में नही दी गई है और विभागीय मार्गदर्शिका 2016 की कंडिका 04 में उल्लेखित है कि आंगनबाड़ी के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष होगी, जिसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई हो। अधिक योग्यता के लिए वेटेज नहीं दी जायेगी। सुधा देवी के चयन के विरूद्ध आशिया प्रवीण द्वारा आयुक्त महोदय के कार्यालय में परिवाद दिया गया था, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया था। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने अपने जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि सुधा देवी का चयन गलत तरीके से किया गया है, जबकि पूर्व में ही परिवादी आशिया प्रवीण द्वारा महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती आरती कुमारी को सूचना दी थी कि सुधा देवी के पति का चयन जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के रूप में हो चुका है। फिर भी नियम के विरूद्ध सुधा देवी का चयन किया गया। विभागीय चयन मार्गदर्शिका 2016 की कंडिका 06 में अयोग्यता के संबंध में स्पष्ट है कि पत्नी/बहु सेविका/सहायिक चयन के लिए अयोग्य होगी। सुधा देवी का चयन सभी नियमों को अनदेखी करते हुए तथा गलत तरीके से किया गया है।	

Web Copy. Not Official.

		उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में संबंधित क्रमशः	
	लगातार 18.04.2023	आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका चयन की प्रक्रिया 2018 में आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2016 के प्रावधानानुसार शुरू की गई थी। मार्गदर्शिका 2016 के अनुसार चयन प्रक्रिया में अपील की सुनवाई जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता के स्तर से की जानी है तथा उनका आदेश अंतिम आदेश माना जायेगा। उक्त के आधार पर प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय/प्राधिकार में वाद दायर कर सकते है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.